हुक्म ...	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2022	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 का जवाब बन्द किया जाता है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 10/01/2023 को पेश हो।	
10/01/2023	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 वकील उपस्थित। प्रार्थी व विप्रार्थी सख्या 2 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 63

दिनांक : 10-01-2023

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. हेमराज पुत्र लुम्भाराम जाति जाट, निवासी लेगों की ढाणी सोहड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. जसाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 18, जाति जाट, निवासी लेगों की ढाणी सोहड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 266 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लेगों की ढाणी, पटवार मण्डल – सोहड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 177 / 16 रकबा 5.2690 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु — सत्यमेव जयते

10/1/2023

(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 64-66

दिनांक : 10-01-2023

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सोहड़ा, को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हेमराज पुत्र लुम्भाराम
4. विप्रार्थी श्री जसाराम पुत्र मुलाराम वगैरा 18
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

10/1/2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर